

श्री सहदेव सिंह पिता श्रीकिशन मीणा नि. गाडोली तह. जहाजपुर
वादी.....

बनाम

1. श्री मनोज पिता राजेन्द्र मीणा नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. श्री त्रिलोक पिता राजेन्द्र मीणा नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
3. श्री कोशल पिता रामरतन ना. ब. ब.माता लाली पत्नि रामरतन मीणा नि.
जहाजपुर तह. जहाजपुर
4. श्रीमति मीरा पत्नि भवानीशंकर मीणा नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
5. श्रीमति मनभरी पत्नि अम्बालाल मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
6. श्री बल्देव पिता रतिराम मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
7. श्री अम्बालाल पिता रतिराम मीणा नि. कुराडिया तह. जहाजपुर
8. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
9. श्रीमति अनिता पत्नि कैलाश चन्द्र मीणा नि. छाजेला का खेडा तह. जहाजपुर
प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 15.03.2021

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई है कि ग्राम धाधोला प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर की आ.न. 680/1 रकबा 25.05 बीघा में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स (गुणावगुण) के आधार पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 04.04.2018 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से वादी भी सहमत है। जिससे बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है की :-

ग्राम धांधोला प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	मनभर पत्नि अम्बालाल मीणा सा. कुराडिया खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा जहाजपुर	680/2	05.01	बा. II	01.87
		कुल किता 01	05.01		01.87
2	अनिता देवी पत्नि कैलाश चन्द्र मीणा नि. छाजेला का खेडा खातेदार	680/1	05.01	बा. II	01.87
		कुल किता 01	05.01		01.87
3.	सहदेव पिता श्रीकिशन मीणा सा. गाडोली खातेदार रहन केनरा बैंक शाखा देवली	680/3	05.01	बा. II	01.87
		680/4	10.02	बा. II	03.74
		कुल किता 02	15.03		05.61

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

आदेश आज दिनांक 15.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धर्मराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)